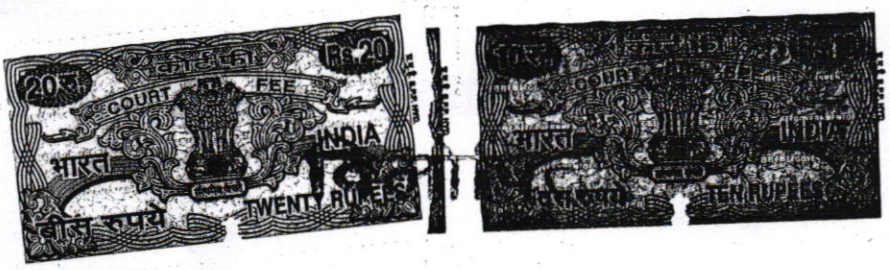

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0164

श्री ... चतुर्वेदी अभि. द्वारा आज दि. 4/1/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8/2/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

घासीराम पुत्र श्री रामप्यारे
निवासी– ग्राम झिकमऊ तहसील महाराजपुर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...........आवेदक

विरूद्ध

1– मंगल दीन पुत्र श्री प्रभूदयाल
2– लखनलाल पुत्र श्री प्रभूदयाल
3– बद्रीप्रसाद पुत्र श्री रामप्यारे
4– मुन्नीलाल पुत्र श्री गडुआ काछी
5– जमुनाबाई पुत्री चुन्टाई पत्नी बच्चीलाल मिश्रा
6– नर्वदाबाई पुत्री श्री चुन्टाई पत्नी भुमानी दीन गंगेले

निवासीगण– ग्राम झिकमऊ तहसील महाराजपुर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

........... अनावेदकगण

4/1/18 चतुर्वेदी अभि.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव/महारापुर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 130/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.12.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1 यहकि, भूमि खसरा क्रमांक 772, 773, 774/1, 774/2, 775, 776/1, 776/2, 777/1, 777/2, 778/1, 778/2, 779 कुल किता 12 एकत्र रकवा 7.212 है0 मौजा झिकमउ तहसील महारापुर जिला छतरपुर में स्थित भूमियां है। उक्त भूमियां उभय पक्षो के सहखाते की भूमियां है जिनपर 30 वर्षो से आपसी

**XXXIX(a)-BR(H)-11**

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0164 **जिला** – छतरपुर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13.02.19 | प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन को उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार करते हुए अपील को समायावधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण को अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। आवेदक को गुण–दोष पर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। परिणामस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |